न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट –ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
वाद संख्या :– वाद संख्या – 112/2022

शीर्षक

1. मक्खनलाल पुत्र भगवान सहाय
2. नानूराम पुत्र भगवान सहाय
3. राजेन्द्र पुत्र भगवान सहाय
4. पुष्कर पुत्र भगवान सहाय
5. लोकेश पुत्र भगवान सहाय
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
6. संतोष पुत्री भगवान सहाय पत्नी रामेश्वर चौपड़ा, जाति जाट, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. सीता देवी पत्नी प्रकाशचन्द
8. सीमा पुत्री प्रकाशचन्द
9. रेखा पुत्री प्रकाशचन्द
10. सुनिल पुत्र प्रकाशचन्द
11. कनिष्का पुत्री प्रकाशचन्द
    समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1 किशोर पुत्र गंगाबक्स
2 फतेह सिंह पुत्र बलवन्त सिंह
3 फतेह सिंह पुत्र गंगाबक्स
4 वासुदेव सिंह पुत्र बलवन्त सिंह
5 दया कंवर पत्नी उदयसिंह
6 सुरजभान सिंह पुत्र बलवन्त सिंह
   समस्त जाति चारण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयुपर।
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए

निर्णय

दिनांक :– 7/2/2024

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि :– वादीगण ने उक्त वाद पत्र इस आश
ा पेश किया कि वादीगण सं0 1 ता 5 व 7 ता 11 ग्राम कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
ला जयपुर के रहने वाले है तथा प्रतिवादी सं0 6 ग्राम मौरीजा के निवासी है तथा
ीगण कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है
ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का हनुतिया , भू0अ0नि0क्षेत्र राडावास तहसील शाहपुरा
ा जयपुर में आराजी भूमि हाल ख0 नं0 619 रकबा 0.92 है0 कुल किता 1 कुल रकबा

सहायक कलक्टर

0.92 है0 स्थित है। उक्त भूमि के गत खसरा नंबर 282 है। उक्त भूमि ही प्रस्तुत वाद पत्र में विवादित है जिसे वाद पत्र के अग्रिम पदों में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। वादीगण के दादा, पडदादा रिछपाल, भगवान सहाय द्वारा वाद पत्र में वर्णित विवादग्रस्त भूमि को 900 /– रूपये में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता/ससुर से खरीद की गई थी उक्त भूमि को खरीद कर प्रतिफल स्वरूप 900/– रूपये उसी समय प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता/ससुर को अदा कर दी थी जिसकी लिखावट भी बही में लिखवा ली थी जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के दादा/ससुर हस्ताक्षर कर उक्त लिखापढ़ी की प्रति भी वादीगण के दादा पडदादा को उसी समय दे दी गई थी। उक्त विवादग्रस्त भूमि को खरीद करने के पश्चात् वादीगण के दादा पडदादा उक्त विवादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करने लगे, उनकी मृत्यु के उपरान्त उक्त विवादित भूमि पर वादीगण के पिता व वर्तमान में वादीगण स्वयं के द्वारा काबिज काश्त होकर विवादग्रस्त आराजी का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग किया जा रहा है। इस प्रकार वादीगण लगभग 66 – 67 वर्षों से मौके पर निरन्तर रूप से काबिज काश्त होकर उक्त विवादग्रस्त भूमि का शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग कर रहे है तथा वादीगण का बिना किसी बाधा के निरन्तर कब्जा निर्बाध रूप से चला आ रहा है तथा उक्त विवादित भूमि का लगान भी वादीगण द्वारा ही जमा करवाया जाता आ रहा है।

वादीगण द्वारा वर्तमान में विवादित भूमि पर बाजरे की फसल काटी जाकर पशुओं के हरे चारे हेतु रंजका आदि बो रखा है। इस प्रकार वर्तमान में भी वादीगण का सेटलमेन्ट पोजेशन है तथा मौके पर वादीगण काबिज होकर उपजो को प्राप्त करते आ रहे है। विवादित भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने का फायदा उठाते हुए प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के सहयोगी वादीगण को विवादित आराजी से जबरिया बेदखल करने का आये दिन प्रयास करते रहते है तथा वादीगण द्वारा विवादित आराजी के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करते रहते है जिसका प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 व इनके सहयोगीयों को कोई हक अधिकार हासिल नहीं है। दिनांक 11.10.2022 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के सहयोगी विवादित भूमि पर आये तथा वादीगण को विवादित भूमि से जबरिया बेदखल कर कब्जा करने का प्रयास किया गया जिस पर वादीगण द्वारा ऐतराज करने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 व इनके सहयोगियों द्वारा वादीगण को शीघ्र ही लठ के बल पर जबरिया मौके से बेदखल कर विवादित भूमि पर कब्जा करने की ऐलानियां धमकी दी गई जिस कारण वादीगण को उक्त वाद पत्र पेश करना लाजमी आया है। ऐसे में वादीगण को यह हक अधिकार हासिल है कि विवादग्रस्त भूमि को वादीगण के पूर्वजों द्वारा खरीद करने व वादीगण अर्सेदराज से काबिज होकर उपयोग उपभोग करने के कारण उक्त भूमि खसरा नंबर 619 रकबा 0.92 है0 की खातेदारी अपने नाम से घोषित करवाकर राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज दुरूस्त करवाये तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द करवाये कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5

सहायक कलक्टर

विवादित आराजी को अन्य दीगर व्यक्ति, संस्था को बैचान, हस्तानान्तरित नहीं करें, ना ही वादीगण को विवादित आराजीयात् में निहित वादीगण के कब्जे काश्त एवं भूमि के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग से ही वंचित करें, ना ही कोई खाम या पुख्ता निर्माण कार्य करें, ना ही कब्जे काश्त से बेदखल करें, ना ही निर्माण सामग्री डलवायें तथा प्रतिवादी संख्या 7 विवादित आराजीयात् बाबत किसी प्रकार का कोई राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन परिवर्धन नहीं करें। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 व इनके सहयोगियों द्वारा वादीगण को विवादित आराजीयात् से जबरन बेदखल व कब्जा करने एवं बैचान, हस्तान्तरण करने की धमकी देने से वाद कारण उत्पन्न होने से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का डिक्री फरमाया जाकर भूमि खसरा नंबर 619 रकबा 0.92 है0 की खातेदारी वादीगण के नाम से घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से किसी प्रकार की कोई मजाहमत पैदा न करने हेतु पाबंद किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को विधीवत नोटिस जारी किये। तामील प्राप्त हुई। प्राप्त तामील का अवलोकन किया गया जिसमें केवल प्रतिवादी संख्या 7 की तामील हुई है शेष प्रतिवादीगण की नहीं एवं तामील कुनिन्दा द्वारा नोटिस पर अंकन किया गया कि प्रतिवादीगण जमीन बेचकर गांव छोड़कर अन्यत्र चले गये है। वकील वादी ने प्रतिवादीगण की तलबी अखबार साया से करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिस पर वकील वादी को सुना गया। प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी क्षैत्रिय समाचार पत्र में प्रकाशित कर अखबार की प्रति पेश करने के आदेश दिये गये। दिनांक 08.02.2023 को नोटिस जारी किया गया जिसमें आगामी तारीख पेशी 24.02.2023 अंकित की गई। वकील वादी द्वारा दिनांक 09.02.2023 को क्षैत्रिय समाचार पत्र में नोटिस अखबार साया के माध्यम से प्रकाशित करवाया गया, जिसकी रसीद, नोटिस प्रति, असल प्रति अखबार साया पेश किये जो संलग्न पत्रावली है। दिनांक 06.07.2023 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 7, बाद तामील अखबार साया से करवाने के उपरांत अनुपस्थित रहें। उक्त दिनांक को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य में शपथ–पत्र स्वयं वादी सं0 1 पी.डब्ल्यू 1 मक्खन लाल का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया और दस्तावेज प्रदर्शित करवाये। दस्तावेजी साक्ष्य में बही की लिखावट की प्रति प्रस्तुत की मूल लिखावट खो जाने के कारण धारा 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत बही की लिखावट की फोटो प्रति को रिकॉर्ड पर लिया गया। इसी प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य में खसरा गिरदावरी, लगान की रसीदे एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 26.10.2023 प्रस्तुत की गई एवं विद्युत बिल, जमाबन्दी प्रस्तुत की गई। दस्तावेज प्रदर्श करवाये और स्वतंत्र साक्ष्य के रूप में गवाह पी.डब्ल्यू 2 मुरलीधर पलसानिया पूर्व सरपंच के

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

बयान लेखबद्ध करवाये गये एवं गवाह पी. डब्ल्यू 3 महादेव पुत्र गंगाराम के बयान लेखबद्ध करवाये और वादी की ओर से एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किये कि वादग्रस्त भूमि वादीगण संख्या 1 ता 5 व 7 ता 11 ग्राम कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के रहने वाले है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ग्राम मौरिजा के निवासी है तथा वादीगण कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है। वाकै ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का हनुतिया, भू0अ0नि0क्षे0 राडावास, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में आराजी भूमि हाल खसरा नंबर 619 रकबा 0.92 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.92 है0 स्थित है। उक्त भूमि के गत खसरा नंबर 282 है। उक्त भूमि ही प्रस्तुत वाद पत्र में विवादित है, जिसे वाद पत्र के अग्रिम मदों में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है।

वादीगण के दादा, पड़दादा रिछपाल, भगवान सहाय द्वारा वाद पत्र में वर्णित विवादग्रस्त भूमि को 900/–रूपये में प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 के पिता/ससुर से खरीद की गई थी। उक्त भूमि को खरीद कर प्रतिफल स्वरूप राशि 900/– रूपये उसी समय प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 के पिता/ससुर को अदा कर दी थी जिसकी लिखावट भी बही में लिखवा ली थी जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के दादा/ससुर हस्ताक्षर कर उक्त लिखा पढ़ी की प्रति भी वादीगण के दादा/परदादा को उसी समय दे दी गई थी । उक्त विवादग्रस्त भूमि को खरीद करने के पश्चात् वादीगण के दादा परदादा उक्त विवादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करने लगे उनकी मृत्यु के पश्चात् उक्त विवादित भूमि पर वादीगण के पिता व वर्तमान में वादीगण स्वयं के द्वारा काबिज काश्त होकर विवादग्रस्त आराजी का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग किया जा रहा है इस प्रकार वादीगण लगभग 66–67 वर्षो से मौके पर निरन्तर रूप से काबिज काश्त होकर उक्त विवादग्रस्त भूमि का शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग कर रहे है तथा वादीगण का बिना किसी बाधा के निरन्तर कब्जा निर्बाध रूप से चला आ रहा है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि का लगान भी वादीगण द्वारा ही जमा करवाया जाता आ रहा है।

वादीगण द्वारा वर्तमान में विवादित भूमि पर बाजरे की फसल कांटी जाकर पशुओं के हरे चारे हेतु रंजका आदि बो रखा है। इस प्रकार वर्तमान में वादीगण का सेटलमेन्ट पजेशन है तथा मौके पर वादीगण काबिज होकर उपजों को प्राप्त करते आ रहे है। विवादित भूमि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने का फायदा उठाते हुए प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के सहयोगी वादीगण को विवादि आराजी से जबरिया बेदखल करने का आये दिन प्रयास करते रहते है तथा वादीगण द्वारा विवादित आराजी के उपयोग उपभोग में बाधा कारित रहते है, जिसका प्रतिवादी सं0 1 ता 5 व इनके सहयोगियों को कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है। दिनांक 11.10.2022 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के सहयोगी विवादित भूमि पर आये तथा वादीगण को

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

विवादित भूमि से जबरिया कब्जा करने का प्रयास किया गया जिस पर वादीगण को शीघ्र ही लठ के बल पर जबरिया मौके से बेदखल कर विवादित भूमि पर कब्जा करने की एलानियां धमकी दी गई जिस कारण वादीगण को उक्त वाद पेश करना लाजमी हुआ। ऐसे में वादीगण को यह हक व अधिकार हासिल है कि विवादित भूमि को वादीगण के पूर्वजों द्वारा खरीद करने व वादीगण अर्सेदराज से काबिज होकर उपयोग उपभोग करने के कारण उक्त भूमि खसरा नंबर 619 रकबा 0.92 है0 भूमि की खातेदारी अपने नाम से घोषित करवा कर राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज दुरस्त करावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 विवादित आराजी को किसी अन्य दीगर व्यक्ति को बेचान, हस्तानान्तरित नहीं करें ना ही वादीगण को विवादित आराजीयात में निहित वादीगण के कब्जे काश्त एवं भूमि के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग से ही वंचित करें ना ही कोई खाम या पुख्ता निर्माण कार्य करें, ना ही कब्जे काश्त से बेदखल करें, प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य बही की लिखा पढ़ी का प्रतिवादी की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत गवाहों ने वाद पत्र में कहे गये कथनों की ताईद की है एवं वादीगण ने अपनी दस्तावेजी साक्ष्य में विवादित जमीन बाबत खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की। उक्त खसरा गिरदावरी में वादीगण का कब्जा स्पष्टतया प्रमाणित है तथा लगान की रसीदे भी वादीगण की ओर से प्रस्तुत की गई जिससे भी स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा उक्त भूमि का लगान लगातार अदा किया जाता रहा है, जिससे भी वादीगण का कब्जा लगातार चला आ रहा है।

वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में मौका रिपोर्ट जो कि तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रस्तुत की गई है। उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 26.10.2023 में पटवारी एवं भू0अ0नि0क्षे0 ने मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार की गई थी। उक्त मौका रिपोर्ट में मौके पर पक्के कमरे बने हुए दर्शित किये गये है, मौके पर बोरिंग होना बताया है, पेड–पौधे लगे हुए बताये गये है, तथा उक्त भूमि के कुछ हिस्से पर कासनी बोई जाना बताया है तथा घरेलू कनेक्शन भी प्रकाश चन्द पुत्र भगवान सहाय जाट के नाम से होना बताया है तथा माकै पर वर्तमान में मक्खन लाल, नानूराम, राजेन्द्र, पुष्कर, लोकेश, पुत्र भगवान सहाय, सीता देवी पत्नी प्रकाश के द्वारा काश्त करना बताया है तथा इससे पूर्व 40–50 वर्षो से इनके पूर्वजों द्वारा काश्त किया जाना बताया है तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार 60–70 वर्ष पूर्व ही बाहर रहना बताया है। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट तहसीलदार महोदय ने प्रस्तुत की जिससे भी स्पष्टतया प्रमाणित है कि वादीगण वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर काबिज है तथा वादीगण का कब्जा एडवर्स (प्रतिकूल) हो चुका है। खातेदारों द्वारा पूर्व में किसी प्रकार की कोई बेदखली की कार्यवाही आज दिन तक नहीं की गई है। वादीगण का कब्जा लगातार प्रमाणित है, जिसकी ताईद वाद पत्र में कहे गये कथनों से होती है। वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में कानूनी नजीर 2005 (2) RRT 594 सावित्री बनाम अंकुर एवं कानूनी नजीर 2004 (1)

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

RRT 384 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम गुमनाराम प्रस्तुत की एवं कानूनी नजीर 2009 (1) RRT 369 भंवर सिंह बनाम चन्द्रा प्रस्तुत की है। उक्त नजीरों में माननीय राजस्व मण्डल ने प्रतिकूल कब्जा साबित किये जाने पर वादीगण का निरन्तर कब्जा मानते हुए वाद डिक्री किया गया था। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के वाद का कोई विरोध नहीं किया और ना ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत की। वादीगण की साक्ष्य अखण्डनीय रही ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद एकपक्षीय रूप से डिक्री किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 619 रकबा 0.92 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.92 है0 जो वाकै ग्राम कल्याणपुरा, पटवार हल्का हनुतिया, भू0अ0नि0क्षेत्र राडावास, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है, का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाकर रिकॉर्ड दुरस्त किया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार, तहसील शाहपुरा को अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण, वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग, काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें तथा कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करें इस आशय की डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7/2/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला–जयपुर, ग्रामीण

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर)
सत्यमेव जयते

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट –ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
वाद संख्या :– वाद संख्या – 112/2022

शीर्षक

1. मक्खनलाल पुत्र भगवान सहाय
2. नानूराम पुत्र भगवान सहाय
3. राजेन्द्र पुत्र भगवान सहाय
4. पुष्कर पुत्र भगवान सहाय
5. लोकेश पुत्र भगवान सहाय
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
6. संतोष पुत्री भगवान सहाय पत्नी रामेश्वर चौपड़ा, जाति जाट, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. सीता देवी पत्नी प्रकाशचन्द
8. सीमा पुत्री प्रकाशचन्द
9. रेखा पुत्री प्रकाशचन्द
10. सुनिल पुत्र प्रकाशचन्द
11. कनिष्का पुत्री प्रकाशचन्द
    समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. किशोर पुत्र गंगाबक्स
2. फतेह सिंह पुत्र बलवन्त सिंह
3. फतेह सिंह पुत्र गंगाबक्स
4. वासुदेव सिंह पुत्र बलवन्त सिंह
5. दया कंवर पत्नी उदयसिंह
6. सुरजभान सिंह पुत्र बलवन्त सिंह
   समस्त जाति चारण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयुपर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए

निर्णय दिनांक :– 7/2/2024

अतः वादीगण का वाद एकपक्षीय रूप से डिक्री किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 619 रकबा 0.92 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.92 है0 जो वाकै ग्राम कल्याणपुरा, पटवार हल्का हनुतिया, भू0अ0नि0क्षेत्र राडावास, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है, का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाकर रिकॉर्ड दुरस्त किया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार, तहसील शाहपुरा को अमल

सहायक कलक्टर

दरामद हेतु तहरीर जारी हो। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण, वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग, काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें तथा कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करें एवं शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें।

निर्णय व डिक्री आज तारीख 7/2/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला–जयपुर, ग्रामीण

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	